न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 88/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/115)

वादिया	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सविता पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफ बी तहसील श्रीकरणपुर।		1. चरण सिंह पुत्र भगवाना राम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफ बी तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91,188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 15.04.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

---निर्णय--- **दिनांकः05.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/76 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 4.805 हैक्टेयर भूमि वादिया व प्रतिवादी सहखातेदारों के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खाता में वादिया के नाम 2.403 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.602 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 आपस में भाबी-देवर है। वादिया का कुछ समय पूर्व अपने पति से तलाक हो चुका है। वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 1.602 हैक्टेयर भूमि पारिवारिक सहमति से सुपुर्द की हुई है। जिस पर वादिया का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वादिया के द्वारा ही उक्त भूमि की समस्त सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। वादिया को उक्त भूमि पारिवारिक सहमति से सुपुर्द की हुई है। लेकिन उक्त भूमि आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है और प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त भूमि का अंकन वादिया के नाम से दर्ज नहीं करवाया है। इस कारण वादिया को काफी असुविधा होती है तथा वादिया को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पडता है तथा अन्य परेशानियों से भी झूजना पडता है। वादिया ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह पारिवारिक सहमति के अनुसार उक्त भूमि का अंकन वादिया के नाम से दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल मटोल करता रहा है। आज से 5 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि का अंकन करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/76 के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 4.805 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.602 हैक्टेयर भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे एवं उनके नाम उक्त रकबा राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी सविता व प्रतिवादी चरण सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा समझौता/राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादिया का वाद पत्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सविता बनाम चरण सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 209, 188 आरटीए,
प्रकरण संख्या 88/2025

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादिया सविता पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफ बी को राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/76 में प्रतिवादी संख्या 1 चरण सिंह पुत्र भगवाना राम के नाम दर्ज 1.602 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

सविता बनाम चरण सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 188, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **88/2025**

निर्णय दिनांक :- 05.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादिया सविता पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफ बी को राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 76/76 में प्रतिवादी संख्या 1 चरण सिंह पुत्र भगवाना राम के नाम दर्ज 1.602 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 05.05.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
दिनांकः 05.05.2025

क्रमांकः रीडर/2025/९६२
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)